आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डलीय समिति (सीसीईए)

भत्तों पर सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर मंत्रिमंडल की मंजूरी

Posted On: 28 JUN 2017 9:24PM by PIB Delhi

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कुछ परिवर्तनों के साथ भत्तों पर सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दीहैं।भत्तों की संशोधित दरें दिनांक 1 जुलाई 2017 से लागू होगी और इससे 48लाख से भी अधिक केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को फायदा मिलेगा।

दिनांक 29 जून 2016 को सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी देते समय, मंत्रिमंडल ने मौजूदा प्रावधानों में पर्याप्त परिवर्तनों और काफी संख्या में प्रतिवेदन मिलने के कारण भत्तों से संबंधित समिति (सीओए)की स्थापना करने का निर्णय लिया था। यह परिवर्तन दिनांक 27 अप्रैल 2017 को वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत की गई अपनी रिपोर्ट में सीओए के द्वारा प्रदान किएसुझावों और सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों की जांच करने के लिए स्थापित सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति के अनुसार हैं।

भत्तों पर सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें

सातवें केंद्रीय वेतन आयोग ने 197 भत्तों की जांच में तीन स्तरीय दृष्टिकोण अपनाया था जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को भत्ता जारी रखने की जरूरत का मूल्यांकन, भत्ते द्वारा कवर किए जाने वाले समूह की उचित उपयुक्तता और एक समान उद्देश्यों के लिए प्रदान किए जाने वाले भत्तों का समूहीकरण करके भत्तों को तर्कसंगत बताना शामिल है। सातवें केंद्रीय वेतन आयोग ने 53 भत्तों को खत्म करने और 37 भत्तों को मौजूदा या नए प्रस्तावित भत्तों में शामिल करने की सिफारिश की थी।

अधिकतर रखे गए भत्तों में से, सातवें केंद्रीय वेतन आयोग ने महंगाई भत्ते की दरों में प्रदर्शित मुद्रास्फीति के अनुपात में बढ़ोत्तरी की सिफारिश की है। तदनुसार पूर्ण रूप से डीए पर आधारितभत्ते जैसे परिवहन भत्ता में कोई बढ़ोत्तरी नहीं की गई है।महंगाई भत्तों के आधार पर तय किए जाने वाले भत्तों को 2.25 के कारक द्वारा बढ़ाया गया था और उन्हें 1.5 के कारक द्वारा आंशिक रूप सेसूचिकत किया गया है।भुगतान किए जाने वाले भत्तों की मात्रा को 0.8 के कारक द्वारा युक्तिकरण किया गया था।

जोखिम और कठिनाई से भत्तों से जुड़े भत्तों को प्रशासित करने के लिए एक नई प्रणाली का विकास किया गया है। सिविलियन कर्मचारियों, सीएपीएफ और रक्षा कार्मिकों से संबंधित असंख्य भत्तों और उनकी श्रेणियों और उप-श्रेणियों को जोखिम और कठिनाई मैट्रिक्स नामक एक सारणी में फिट किया गया है। आर एंड एच मैट्रिक्स में 9सेल हैं जिसमें सियाचिन भत्ते को शामिल करने के लिए आर एच- मैक्स नामक एक अतिरिक्त सेल के साथ जोखिम और कठिनाई के स्तर को दर्शाया गया है। व्यैक्तिक भत्तों के लिए लागू बहुविध दरों को आर एंड एच मैट्रिक्स की प्रत्येक सेल के लिए दो स्तरों से बदला जाएगा।

मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर परिवर्तन

आज मंत्रिमंडल में मंजूर किए गए परिवर्तनों को सीओए की सिफारिश के आधार पर एक ई-सीओएस द्वारा अंतिम रुप दिया गया था। सीईओ ने अपनी सिफारिशों को अंतिम रुप देने से पहले सभी हितधारकों से व्यापक परामर्थ लिया था। इसने संयुक्त परामर्शदात्री मशीनरी (स्टाफ पक्ष) और विभिन्न कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों से भी संवाद किया था। इनमें से अधिकतम संशोधन विद्यमान प्रबंधों की सतत् जरूरत प्रशासनिक आकस्मिकताओं और भत्तों की संरचना के युक्तिकरण के कारण किए गए हैं।

वित्तीय भार

भक्तों पर सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों में सरकार द्वारा मंजूर किए गए परिवर्तनों के कारण सातवें वेतन आयोग द्वारा प्रदान किए गए वार्षिक अनुमानों के अनुसार 1448.23 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष की मामूली वृद्धि होगी। सातवें केंद्रीय वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में भक्तों पर प्रतिवर्ष 29,300 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार का अनुमान प्रदान किया था। मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर किए गए संशोधनों सिहत सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कारण संयुक्त अतिरिक्त वित्तीय बाधाएं प्रतिवर्ष 30748.23 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष के खर्च का अनुमान है।

भत्तों पर केन्द्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी की मुख्य विशेषताएं

- 1. समाप्त और शामिल किए जाने वाले अनुशंसित भत्तों की संख्या- सरकार ने उन 53 में से 12 भत्तों को समाप्त न करने का निर्णय लिया है जिनकी सिफारिश 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग ने समाप्त करने के लिए की थी। इन भत्तों को जारी रखने का निर्णय रेलवे, डाक एवं अन्तरिक्ष और परमाणु ऊर्जा विभागों जैसे वैज्ञानिक विभागों की विशेष प्रकार्यात्मक जरूरतों को ध्यान में रखकर किया गया है। यह भी निर्णय लिया गया है कि 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा उन 37 में से 3 भत्तों को अलग भत्तों के रूप में जारी रखा जाएगा जिनकी सिफारिश 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग ने सम्मिलित करने के लिए की थी। यह उन भत्तों की अद्वितीय प्रकृति को ध्यान में रखकर किया गया है। इन भत्तों की दरों को भी 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा अपनाए गए फॉर्मूले के अनुसार बढ़ाया गया है। इससे रेलवे, डाक, रक्षा और वैज्ञानिक विभागों में कार्यरत एक लाख से भी अधिक कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
- 2. आवास भत्ता (एचआरए) वर्तमान में शहरों की X श्रेणी (50 लाख और उससे अधिक जनसंख्या वाले शहर) के लिए 30 प्रतिशत, Y श्रेणी (5 से 50 लाख जनसंख्या वाले शहर) के लिए 20 प्रतिशत और Z श्रेणी (5 लाख से कम जनसंख्या वाले शहर) के लिए 10 प्रतिशत की दर से आवास भत्ता प्रदान किया जाता है। 7वें केनद्रीय वेतन आयोग ने विद्यमान दरों को घटाकर X श्रेणी के शहरों के लिए 24 प्रतिशत, Y श्रेणी के शहरों के लिए 16 प्रतिशत और Z श्रेणी के शहरों के लिए 8 प्रतिशत करने की सिफारिश की है। चूंकि घटी हुई दरों पर एचआरए निम्न वेतन समूह के कर्मचारियों के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता था इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि X, Y और Z श्रेणी के शहरों के लिए एचआरए क्रमश: 5400 रुपये, 3600 रुपये और 1800 रुपये से कम नहीं होगा। यह न्यूनतम निर्धारित दर 18000 रुपये के न्यूनतम वेतनमान पर 30%, 20 प्रतिशत और 10 प्रतिशत की दर से गणना की गई है। इससे लेवल 1 से 3 के लगभग 7.5 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।

7वें केन्द्रीय वेतन आयोग ने यह सिफारिश भी की है कि आवास भत्ता की दरों में महंगाई भत्ता 50% 27%, 18 प्रतिशत और 9 प्रतिशत तक और महंगाई भत्ता 100 प्रतिशत पहुंचने पर 30%, 20% और 10% के दो चरणों में बढ़ोत्तरी की जाएगी। वर्तमान मुद्रास्फीति के रुझानों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने निर्णय लिया है कि इन दरों में उर्ध्वमुखी संशोधन किया जाएगा, जब महंगाई भत्ता क्रमश: 25% और 50% पार कर लेगा। इससे उन सभी कर्मचारियों को फायदा मिलेगा जो सरकारी आवास में निवास नहीं करते और एचआरए प्राप्त करते हैं।

सियाचिन भत्ता- 7वें केनद्रीय वेतन आयोग ने सियाचिन भत्ते को 21,000 रुपये और 31,500 रुपये के दो स्तरों के साथ आर एण्ड एच मैट्रिक्स की आरएच-अधिकतम सेल में रखा
था। सियाचिन में सतत् आधार पर अधिकारियों/पीवीओआर द्वारा सामना किए जाने वाले जोखिम और कितनाइयों की कठोर प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने सियाचिन भत्ते को

और अतिरिक्त बढ़ाने का निर्णय लिया है जो कि जवानों और जे सी ओ (लेवल 8 और उससे कम) के लिए वर्तमान दर 14,000 रुपये से 30,000 रुपये प्रतिमाह और अधिकारियों (लेवल 9 और उससे अधिक) के लिए 21,00 रुपये से बढ़कर 42,500 रुपये हो जाएगा। इस बढ़ोत्तरी के साथ, सियाचिन भत्ता विद्यमान दरों के दोगुने से भी अधिक हो जाएगा। इससे सियाचिन में तैनात भारतीय सेना के सभी सैनिकों और अधिकारियों को को लाभ मिलेगा।

- 4. वर्दी भत्ता- वर्तमान में वर्दियों/कपड़ों की साफ-सफाई और अनुरक्षण के लिए विभिन्न प्रकार के भत्तों का भुगतान किया जाता है जैसे धुलाई भत्ता, यूनिफॉर्म भत्ता, किट रख-रखाव भत्ता, आऊटफिट भत्ता आदि। इन सभी भत्तों की युक्तिकरण करके इन्हें एक नए प्रस्तावित ड्रैस भत्ते में समाविष्ट कर लिया गया है जिसे विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों को 5000, 10,000, 15,000 और 20,000 रुपये की चार दरों के अनुसार वार्षिक रूप से प्रदान किया जाएगा। उच्च रख-रखाव और स्वच्छता जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, यह भत्ता नर्सों को प्रतिमाह प्रदान किया जाता रहेगा। सरकार ने एसपीजी कार्मिकों को भुगतान किए जाने वाले यूनिफॉर्म भत्ते की विद्यमान दरों और उनकी विशिष्ट जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उन्हें ड्रैस भत्ते की उच्च दर (जो कि 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश से अधिक है) प्रदान करने का निर्णय लिया है। विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए विशिष्ट क्लोथिंग की दरों को अलग ये प्रशासित किया जाएगा।
- 5. दुर्गम स्थान भत्ता- विशेष प्रतिपूर्ति (दूरस्थ स्थान) भत्ता (एससीआरएलए), सुंदरवन भत्ता और जनजातीय क्षेत्र जैसे भौगोलिक स्थान पर आधारित कुछ भत्तों को दुर्गम स्थान भत्ते में समाविष्ट कर लिया गया है। टीएलए के अंतर्गत क्षेत्रों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है और इसकी दरें आर एंड एच मैट्रिक्स की विभिन्न सेलों से प्रशासित की जाएंगी और इनकी दर 1000 रुपये से 5300 रुपये प्रतिमाह होगी। 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग ने यह सिफारिश की थी कि टीएलए उत्तर-पूर्व, लद्वाख और द्वीप समूहों में दिए जाने वाले विशेष ड्यूटी भत्ते (एसडीए) के साथ स्वीकार्य नहीं होगा। सरकार ने यह निर्णय लिया है कि कर्मचारियों को संशोधित दरों पर एसडीए के साथ संशोधन-पूर्व एससीआरएलए का लाभ उठाने का विकल्प प्रदान किया जाएगा।
- 6. सभी कर्मचारियों को प्रदान किया जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण भत्तों से संबंध में सिफारिशें
- चिल्ड्रन एजूकेशन एलाऊंस (सीईए) की दर को 1500 रुपये प्रतिमाह/प्रति बच्चा (अधिकतम 2 बच्चों) से बढ़ाकर 2250 रुपये प्रति माह/प्रति बच्चा (अधिकतम 2 बच्चे) कर दिया गया है। छात्रावास की छूट को 4500 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 6750 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है।
- निशक्त महिलाओं के लिए बच्चों की देखभाल के लिए विशेष भत्ते की विद्यमान दरों को 1500 रुपये प्रतिमाह से 3000 रुपये प्रतिमाह तक बढ़ाकर दोगुना कर दिया गया है।
- सिविलियन कर्मचारियों को प्रदान किया जाने वाला उच्च शिक्षा प्रोत्साहन भत्ते को 2000-10,000 रुपये (अनुदान) से बढ़ाकर 10,000-30,000 रुपये कर दिया गया है।
- वर्दी धारण करने वाली सेवाओं (रक्षा, सीएपीएफ, पुलिस, भारतीय तट रक्षक और सुरक्षा एजेंसियों) को भुगतान किए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण भत्तों के संदर्भ में सिफारिशें
- सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग ने शांतिपूर्ण क्षेत्रों में तैनात रक्षा अधिकारियों को प्रदान किए जाने वाली राशन धनराशि (आरएमए) और मुकृत राशन को समाप्त करने की सिफारिश की थी। यह निर्णय लिया गया है कि उन्हें राशन धनराशि भत्ते का भृगतान करना जारी रखा जाएगा और यह राशि सीधे उनके खातों में हस्तांतरित होगी। इससे 43000 रक्षा अधिकारियों को फायदा मिलेगा।
- तकनीकी भत्ता (टियर-।और II) 3000 रुपये प्रतिमाह और 4500 रुपये प्रतिमाह की दर से तकनीकी शाखाओं में काम करने वाले रक्षा अधिकारियों को प्रदान किया जाता है। सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग ने तकनीकी भत्ते (टियर-II) का रक्षा कार्मिकों के लिए उच्च शिक्षा प्रोत्साहन में विलय करने की सिफारिश की थी। बदलती हुई रक्षा जरूरतों और प्रौद्योगिकियों के साथ चलने के लिए रक्षा किंग्यों के लिए रक्षा सेवाओं की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने तकनीकी भत्ते को समाप्त न करने का निर्णय लिया है। इन भत्तों के लिए पाठ्यक्रमों की सूची की रक्षा में अद्यतित तकनीकी उननतियों के अनुसरण में समीक्षा की जाएगी।
- फील्ड/उच्च तुंगता/सीआई ऑपरेशनों में सेवारत रक्षा बलों के कार्मिकों को वर्तमान में प्रदान किया जाने वाला एक अतिरिक्त मुफ्त रेलवे वारंट (यात्रा रियायत भत्ता) की सुविधा सीएपीएफ और भारतीय तटरक्षक बल के सभी कार्मिकों को प्रदान की जाएगी।
- रक्षा बलों और सीएपीएफ कार्मिकों को प्रदान किए जाने वाले उच्च तुंगता भत्ते की दरों को आर एवं एच मैट्रिक्स द्वारा प्रशासित किया जाएगा। इसकी दरें 800-16800 रुपये प्रति माह से बढ़कर 2700-25000 रुपये प्रतिमाह हो जाएंगी।
- फील्ड क्षेत्र भत्ता भारतीय थल सेना, वायु सेना और सीएपीएफ कार्मिकों को प्रदान किया जाता है। फील्ड क्षेत्र भत्ते (परिवर्तित फील्ड एवं उच्च सक्रिय) की दरों को आर एच मैट्रिक्स द्वारा प्रशासित किया जाएगा। इसकी दरें 1200-12600 रुपये प्रतिमाह से बढ़कर 6000-16900 रुपये प्रतिमाह हो जाएंगी। इस भत्ते के लिए फील्ड क्षेत्रों का वर्गीकरण रक्षा कार्मिकों के लिए रक्षा मंत्रालय और सीएपीएफ के लिए गृह मंत्रालय द्वारा किया जाएगा।
- विप्लव विरोधी ऑपरेशनों (सी आई ऑपरेशन) में तैनाती के समय रक्षा बलों और सीएपीएफ को प्रदान किए जाने काउन्टर इनसर्जेन्सी ऑपरेशन भत्ते की दरों को आर एंड एच मैट्रिक्स द्वारा प्रशासित किया जाएगा। यह दरें 3000 रू – 11700 प्रति माह से बढ़ाकर 6000-16900 रूपये प्रतिमाह हो गई है।
- भारतीय नौसेना के नौसेना कमांडो को प्रदान किया जाने वाला मार्कोस और रथ भत्ते की दरों को आर एंड एच मैट्रिक्स द्वारा प्रशासित किया जाएगा। इसकी दरें 10500 रूपये 15750 रूपये प्रतिमाह से बढ़कर 17300 रू 25000 रू प्रतिमाह हो गई हैं।
- भारतीय नौसेना के कार्मिकों को प्रदान किया जाने वाले सी गोईंग भत्ते की दरों को आर एंड एच मैट्रिक्स द्वारा प्रशासित किया जाएगा। सी गोईंग भत्ते के लिए पात्रता निर्धारित करने के लिए 12 घंटे की शर्त को कम करके चार घंटे कर दिया गया है। इसकी दरें 3000-7800 प्रतिमाह से बढ़ाकर 6000-10500 रुपये प्रतिमाह कर दी जाएंगी।
- नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात सीआरपीएफ के कार्मिकों को प्रदान किए जाने वाले कठोर कार्रवाई (कोबरा) भत्ता के लिए कमांडो बटालियन की दरों को आर एवं एच मैट्रिक्स द्वारा प्रशासित किया जाएगा। इसकी दरें 8400-16800 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 17300-25000 रुपये प्रतिमाह कर दी जाएंगी।
- रक्षा बलों के फ्लाइंग ब्रांच और तकनीकी अधिकारियों को प्रदान किए जाने वाले फ्लाइंग भत्ते की दरों को आर एवं एच मैट्रिक्स द्वारा प्रशासित किया जाएगा। इसकी दरों को 10500-15750 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 17300-25000 रुपये प्रतिमाह कर दिया जाएगा। यह बीएसएफ की एयर विंग को आवश्यक परिवर्तनों के साथ प्रदान कर दी गई है।
- रक्षा कार्मिकों के लिए उच्च शिक्षा प्रोत्साहन की दरों को 9000-30000 रुपये प्रतिमाह (अनुदान) से बढ़ाकर 10,000-20,000 रुपये (अनुदान) कर दिया गया है।
- भारतीय नौसेना को प्रदान किया जाने वाला वैमानीकीय भत्ता तट रक्षक बल को भी प्रदान किया जायेगा। इस भत्ते की दरों को 300 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 450 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है।
- टेस्ट पायलट और फ़ाईट टेस्ट इंजीनियरिंग भत्ते की दरों को आर एवं एच मैट्रिक्स द्वारा प्रशासित किया जाएगा। इस भत्ते की दर को 1500-3000 प्रतिमाह से बढ़ाकर 4100-5300 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है।
- प्रादेशिक सेना भत्ता की दरों को 175-450 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 1000-2000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है।
- रक्षा कार्मिकों के लिए प्रतिनियुक्ति (ङ्यूटी) भत्ता की सीमा को 2000-4500 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 4500-9000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है।
- डिटैचमैंट भत्ते की दरों को 165-780 रुपये प्रतिदिन से बढ़ाकर 405-1170 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है।
- पैरा जम्प इंस्ट्रकशन भत्ते की दरों को 2700-3600 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 6600-10500 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है।
- विशेष घटना/जांच/सुरक्षा भत्ता का युक्तिकरण कर दिया गया है। विशेष सुरक्षा दल (एसपीजी) के लिए दरों को ऑपरेशनल और नॉन-ऑपरेशनल ड्यूटियों के लिए बेसिक वेतनमान क्रमश: 55 प्रतिशत और 27.5 प्रतिशत कर दिया गया है।
 - 8. 8. भारतीय रेलवे को भुगतान किए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण भत्तों के संबंध में सिफारिशें
- अतिरिकृत भत्ते की दरों को 500/1000 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 1125-2250 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। इसे 750 रुपये प्रतिमाह की दर से लोको पायलट गुङ्स और विरष्ठ यात्री रक्षकों को भी प्रदान किया जायेगा।
- कार्य की श्रमसाध्य प्रकृति को ध्यान में रखते हुए रेलवे के रेल-नियंत्रकों के लिए नए भत्ते नामत: विशेष रेल नियंत्रक भत्ता प्रसतुत किया गया है।
 - 9. नर्सों और अस्पताल के अनुसचिवीय कर्मचारियों को कुछ महत्वपूर्ण भत्तों के संबंध में सिफारिशें
- नर्सिंग भत्ते की विद्यमान दरों को 4800 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 7200 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है।
- ऑपरेशन कक्ष भत्ते की दर को 360 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 540 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है।
- अस्पताल रोगी देखभाल भत्ता/रोगी देखभाल भत्ते की दरों को 2070-2100 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 4100-5300 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। सातवें केन्द्रीय आयोग की सिफारिशों ने इस भत्ते को अनुसचिवीय कर्मचारियों को प्रदान करने की सिफारिश की है।
 - 10. पेंशन भोगियों को प्रदान किए जाने वाले महत्वपूर्ण भत्तों के संबंध में सिफारिशें

पेंशन भोगियों के लिए निश्चित चिकित्सा भत्ता (एफएमए) की दर को 500 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 1000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। इससे उन पांच लाख से भी अधिक पेंशनभोगियों को फायदा मिलेगा जो सीजीएचएस सुविधाओं का लाभ नहीं उठा रहे।

- सतत् उपस्थिति भत्ते की दर को 4500 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 6750 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है।
 - 11. वैज्ञानिक विभागों के लिए भत्ते
 - 12. लॉन्च अभियान भत्ता और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी भत्ते को खत्म करने के लिए सातवें केन्द्रीय वेतन की सिफारिश को मंजूर नही किया गया है। अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में सहायक कर्मचारियों को प्रोत्साहन देने के लिए, लॉन्च अभियान भत्ते और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी भत्ते की दरों को 7500 रूपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 11250 रूपये प्रतिमाह कर दिया गया है। परमाणु

| | f y □ in |
|------------------|--|
| (Relea | ase ID: 1494465) Visitor Counter : 22 |
| SS/V | VBA/AK/HJ |
| | **** |
| केन्द्रीय 197 | य सरकार के कर्मचारियों विशेष रूप से रक्षा, सीएपीएफ और तट रक्षक कार्मिकों, रेलवे कर्मचारियों, डाक विभाग और नर्सिंग स्टाफ को प्रभावित करने वाले भत्तों की दरों में बढ़ोत्तरी करते हुए से 128 भत्तों का युक्तिकरण किया गया है। इस प्रकार, सरकार ने राजकोषीय विवेक को दर्शाने के साथ-साथ कर्मचारियों की वास्तविक चिंताओं का समाधान किया है और परिवर्तनों के लिए ार्य प्रशासनिक आकस्मिकताओं पर भी प्रतिक्रिया दी है। |
| निष्कर्ष | 4 |
| | 2. डाक विभाग को भुगतान किए जाने वाले भत्ते 3. मुख्य रूप से डाक विभाग में पोस्टमैन और रेलवे में ट्रैक मैन को प्रदान किए जाने वाले साईकिल भत्ते को खत्म करने के संबंध में सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश को मंजूर नहीं किया गया है।डाक विभाग में पोस्टमैन और रेलवे में ट्रैक मैन के लिए इस भत्ते की विशिष्ट जरूरत को ध्यान में रखते हुए, साईकिल भत्ता प्रदान किया जाता रहेगा और इसकी दरों को 90 रूपये प्रतिमाह से दोगुना करके 180 रूपये प्रतिमाह कर दिया गया है। इससे 22,200 से भी अधिक कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। |
| 13 | ऊर्जा विभाग के गैर-राजपत्रित कर्मचारियों के लिए व्यावसायिक अद्युतन ज्ञान भत्ते को 11250 रूपये प्रति वर्ष की बढ़ी हुई दर पर मिलना जारी रहेगा। 3. भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम के अंतर्गत अंटार्कटिक में खोज शुरू करने वाले वैज्ञानिकों और अन्य सदस्यों को भुगतान किया जाने वाला अंटार्कटिक भत्ते को आर एंड एच मैट्रिक्स के आरएच-मैक्स नें डाल दिया गया है। सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा अनुशंसित आरएच- मैक्स सेल की दरें वर्तमान में दैनिक आधार पर प्रदान किए जाने वाले अंटार्कटिक भत्ते की विशास पर प्रवान करने के लिए सरकार ने अंटार्कटिक भत्ते को आर एंड एच मैट्रिक्स से बाहर रखने को निर्णय लिया है और इस भत्ते का भुगतान विद्यमान प्रथा के अनुसार दैनिक आधार पर किया जाता रहेगा। अंटार्कटिक भत्ते की दरों को 1125 प्रति दिन (गर्मियों में) और 1688 रूपये प्रतिदिन (सर्दियों में) से बढ़ाकर 1500 प्रति दिन (गर्मियों में) और 2000 रूपये प्रतिदिन (सर्दियों में) कर दिया गया है। |